

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

संख्या 111/एसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे तालिका के खाना (4) में विनिर्दिष्ट शर्त के अध्यधीन, खाना (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आने वाले मालों, जिनका विवरण उक्त तालिका के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है, की राज्य के भीतर प्रदायों पर 2.5 प्रतिशत राज्य कर दर अधिसूचित करते है, अर्थात्:—

तालिका

क्रम	अध्याय /	माल का विवरण	शर्त
संख्या	उपशीर्ष / शीर्ष /		
	टैरिफ मद		
(1)	(2)	(3)	(4)
1	19 या 21	केन्द्रीय सरकार या किसी	ऐसी खाद्य निर्मितियों का प्रदायक ऐसे किसी अधिकारी से, जो
		राज्य सरकार द्वारा	भारत सरकार के उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो या राज्य
		सम्यक् रूप से अनुमोदित	सरकार के उप सचिव की पदवी से नीचे का न हो, इस आशय
		किसी कार्यक्रम के अधीन	का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है कि ऐसी खाद्य निर्मितियां केन्द्रीय
		समाज के आर्थिक रूप	सरकार या सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा समयक रूप से अनुमोदित
		से कमजोर वर्गी को	किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों
		निशुल्क वितरण के लिए	को ऐसे माल की प्रदाय की तिथि से पांच मास की अवधि के
		आशयित और इकाई	भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर
		आधानों में रखी गई	आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त, जैसी भी
		खाद्य निर्मितियां।	स्थिति हो, इस संबंध में अनुज्ञात करे, वितरित कर दी गई हैं;

व्याख्या –

- (i) इस अधिसूचना में, ''टैरिफ मद'', ''उपशीर्ष'', ''शीर्ष'' और ''अध्याय '' से अभिप्राय होगा, जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष और अध्याय के रूप में विनिर्दिष्ट है।
- (ii) उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें प्रथम अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण तथा साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण भी शामिल हैं, के निर्वचन के लिए नियम, जहां तक हो सके, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

संजीव कौशल, अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 111/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the state tax rate of 2.5 per cent on intra-State supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2), subject to the condition specified in column (4) of the Table below, namely:-

Table				
Serial Number	Tariff item, sub- heading, heading or Chapter	Description of Goods	Condition	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	19 or 21	Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government.	When the supplier of such food preparations produces a certificate from an officer not below the rank of the Deputy Secretary to the Government of India or the Deputy Secretary to the State Government concerned to the effect that such food preparations have been distributed free to the economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or the State Government concerned, within a period of five months from the date of supply of such goods or within such further period as the jurisdictional commissioner of the Central tax or jurisdictional commissioner of the State tax, as the case maybe, may allow in this regard.	

Explanation. –

- (1) In this notification, "tariff item", "sub-heading" "heading" and "Chapter" shall mean respectively a tariff item, heading, sub-heading and Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975).
- (2) The rules for the interpretation of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) including the section and chapter notes and the General Explanatory Notes of the First Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.

SANJEEV KAUSHAL, Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.